भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4063

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास

4063. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के तहत निर्मित छात्रावासों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में कार्यरत छात्रावासों की संख्या क्या है और वे कौन-से राज्य हैं जहाँ वे स्थित हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार राज्यों में विशेषकर केरल में, ऐसे और अधिक छात्रावासों के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला-केंद्रित पहल, पेयजल एवं स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य आवश्यक सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे सृजन करना है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान PMJVK के अंतर्गत **64 छात्रावास परियोजनाओं** को स्वीकृति प्रदान की गई है।

PMJVK एक सामुदायिक अवसंरचना विकास योजना है, जिसके अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियाँ चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की समस्त आबादी के लाभ के लिए अभिप्रेत हैं। स्वीकृत छात्रावास परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन तथा रखरखाव का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

(ग) एवं (घ): वर्ष 2026–27 के दौरान केरल राज्य से प्राप्त प्रस्तावों सहित छात्रावासों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

हालांकि, पीएमजेवीके योजना को वर्तमान में केवल 31 मार्च, 2026 तक ही अनुमोदित किया गया है।

अनुबंध-I

'अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास' विषय पर माननीय सांसद श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4063 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमजेवीके के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्रावास हेतु परियोजना इकाइयों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2.	हिमाचल प्रदेश	2
3.	जम्मू एवं कश्मीर	3
4.	झारखंड	35
5.	कर्नाटक	11
6.	केरल	6
7.	मणिपुर	11
8.	नागालैंड	3
9.	ओडिशा	78
10.	पंजाब	3
11.	सिक्किम	14
12.	तमिलनाडु	4
13.	त्रिपुरा	4
कुल		**176**
